



न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या-02/2017-18

राम अशीष यादव बनाम राज्य

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|-------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 21.04.2018 | <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>आवेदक को सुना। आवेदक का कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में उनके सभी कागजों को नहीं देखा गया। सम्पूर्ण कागजात एवं साक्ष्यों की विवेचना किए बिना ही भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा बंकारस्त रैयती भूमि अभिलेख सं० 25/2015-16 में दिनांक 07.01.2016 को आदेश पारित कर दिया गया है। वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश है कि आवेदक के सभी कागजात की समीक्षा कर युक्तियुक्त आदेश पारित करें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p> |  (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना |